श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-4, कुतुब सांस्थनिक क्षेत्र
नई दिल्ली-110016

क्रमांक. एफ21 / ला.ब.शा.रा.सं.वि. / जांच बिन्दु समिति / 2021–22 / 1744 दिनांक 23.01.2026

सूचना

हिन्दी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चौथी तिमाही (अक्टूबर 2025 से दिसम्बर 2025) की बैठक दिनांक 30.12.2025 के कार्यवृत के मद सं 1 और 2 के निरन्तर में विश्वविद्यालय के सभी विभागों/अनुभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश किया जाता है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी 17 दस्तावेज़ जैसेः- दिन-प्रति-दिन के सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएँ, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, एम.ओ.ए., भर्ती नियम (आर.आर.), संसदीय प्रश्न, प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञापन, लाइसेंस(अनुज्ञप्ति), परमिट (अनुज्ञा पत्र), नियुक्ति पत्र एवं कार्यवृत आदि सभी द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेज़ी) में जारी करने पर जोर दिया जाएं।

विश्वविद्यालयं के सभी विभागों/अनुभागों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड संबंधित विभाग/अनुभाग के सभी दस्तावेजों को द्विभाषी (हिन्दी और अंग्रेजी) में करना अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करें।

यह कार्यालय आदेश माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरांत निर्गत किया जा रहा है।

सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)

प्रतिलिपि :-

1. समस्त पीठाध्यक्ष
2. विश्वविद्यालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग
3. कुलपति / कुलसचिव जी के निजी सचिव
4. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित है कि इस कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें तथा समस्त विभागों एवं अनुभागों को व्हाट्सएप्प के माध्यम से सूचित करने का कष्ट करें।
5. जनसम्पर्क अधिकारी
6. सम्बंधित पत्रावली

सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)

28/01/26